राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/भण्डार/सफाई/2018–19/ 186 दिनांक : 2/5/19

मैसर्स पिंक सिटी एण्टरप्राईजेज,
201, जे.पी. कॉलोनी, सेक्टर–4,
विद्याधर नगर, जयपुर।
Mob:- 9468680447

विषयः– आरएमएससी कार्यालय परिसर की सफाई कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने के कारण फर्म को ब्लेकलिस्ट करने बाबत्।

संदर्भः– खुली निविदा सूचना क्रमांक 2110 दिनांक 08.03.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित खुली निविदा सूचना क्रमांक 2110 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 9( )/आरएमएससी /भण्डार/ सफाई/2018–19/77 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपको निगम मुख्यालय भवन एवं सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था दिनांक 01.05.2018 से 30.04.2019 तक किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था।

उक्तानुसार जारी कार्यादेश की शर्तों के अनुसार सफाई कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण निगम द्वारा समय–समय पर आपको दूरभाष एवं लिखित में अवगत कराया गया परन्तु आप द्वारा कार्य के प्रति कोई रूची नहीं दिखाई। सफाई कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 620 दिनांक 06.07.2018, 725 दिनांक 23.07.2018 एवं 60 दिनांक 05.04.2019 लिखा गया परन्तु उक्त पत्रों का आप द्वारा तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात अन्तिम सुनवाई नोटिस क्रमांक 144 दिनांक 24.04.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया परन्तु आप द्वारा उसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

उक्त तथ्यों के आधार पर निविदा की शर्त संख्या 11 एवं अनुबन्ध की शर्त संख्या 3 व 14 के अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रू. 16000/– को जब्त करते हुए बार–बार अवगत कराये जाने के बावजूद भी कार्य के प्रति लापरवाही/उदासीनता दिखाने के कारण आपको इस कार्यालय की समस्त निविदाओं से 03 वर्ष के लिए बहिष्कृत किया जाता है।

(जुगल किशोर मीणा)
विशेषाधिकारी, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक (वित्त), आरएमएससी को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार फर्म की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रू. 16000/– को बहिष्कृत पैनेल्टी के रूप में समायोजन करने का श्रम करावे।
3. निरीक्षक, दुकान एवं वाणिज्य संस्थान, जयपुर।
4. ए.जी.एम. (आई.टी.), को भेजकर लेख है कि यह आदेश आरएमएससीएल की वेब साइट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी